संख्या- 14/2020/318/12-5-2020-ब-4/2019

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 20 मार्च, 2020

विषयः- अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा के मानक मद 01-वेतन एवं 52-पुनरीक्षित वेतन अवशेष में धन अन्तरण के पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-कृ0र0-2398/लेखा/पौध सं0/2019-20, दिनांक 28.02.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा के मानक मद 01-वेतन में रू0 700.00 लाख एवं 52-पुनरीक्षित वेतन अवशेष में रू0 143.60 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 843.60 लाख (रूपया आठ करोड़ तैतालिस लाख साठ हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- बचत की मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा न ही देयता सृजित की जायेगी।

4- जिस मद हेतु वस्तुत: धनराशि पुनर्विनियोग करायी जा रही है, धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा। इससे इतर मद में धनराशि का व्यय अनुमन्य न होगा।

5- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

7- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 107-वनस्पति संरक्षण, 03-पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा के मानक मद 01-वेतन एवं 52-पुनरीक्षित वेतन अवशेष के नामे डाला जायेगा।

8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:- 14/2020/318(1)/12-5-2020-ब-4/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

संलग्नक:-यथोक्त।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–बी0एम0–9 (भाग–1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भाँति देख लिया जाय)

वित्तीय वर्ष 2019–20

अनुदान संख्या व नाम–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

प्रपत्र–बी0एम0–9

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
लेखाशीर्षक(15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या–11 **2401 00 101 03 00** 2401–फसल कृषि कर्म, 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान 01–वेतन	4331.86	400.00	400.00	400.00	3931.86
2401 00 001 05 00 2401–फसल कृषि कर्म, 001–निदेशन तथा प्रशासन 05–जिला संगठन 01–वेतन	9451.00	443.60	443.60	443.60	9007.40
योग	**13783.00**	**843.60**	**843.60**		
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा**	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (2–5)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या–11 **2401 00 107 03 00** 2401–फसल कृषि कर्म, 107–वनस्पति संरक्षण 03–पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा 01–वेतन	9829.08	10529.08	700.00	700.00	
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	770.00	913.60	143.60	143.60	
योग	**10599.08**	**11442.68**	**843.60**	**843.60**	

(रू. आठ करोड़ तैंतालीस लाख साठ हजार मात्र)

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है–
अ–वास्तविक माँग के आधार पर बचत।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है–
ब–वास्तविक माँग अधिक होने के कारण 01–वेतन एवं 52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष मद में भुगतान हेतु आवश्यकता से कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपयुर्क्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–566/ई–1–209–दस–2020, दिनांक 17.03.2020

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

(नीलेश कुमार सिंह)
उप सचिव
वित्त विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– 318/12–5–2020–ब–4/2029, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3– प्रधान महालेखाकार, (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4– वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (बी0एम0–9 तीन प्रतियों में)।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1।
8– गार्ड बुक।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।